

प्रेस विज्ञप्ति
सराहनीय कार्य जनपद एटा

एटा ~ थाना रिजोर पुलिस द्वारा जमीनी विवाद को लेकर मारपीट व फायरिंग की घटना में वांछित चल रहा आरोपी युवक अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रिजोर पुलिस द्वारा जमीनी विवाद को लेकर मारपीट तथा फायरिंग की घटना में वांछित चल रहे अभियुक्त को अवैध असलहा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

घटना- दिनांक 26.11.2020 को वादी उजीर पुत्र श्री प्रकाश सिंह निवासी रामनगर थाना रिजोर द्वारा थाना रिजोर पर इस आशय की सूचना दी गई कि जमीनी विवाद को लेकर वादी के परिवार के ही भूपेंद्र, रूपेंद्र, पुष्पेंद्र व नारायण आदि अपने साथ हाथों में लाठी-डंडे वे तमंचा लेकर घर में घुस आए तथा मारपीट करने लगे जिसका विरोध करने पर उन्होंने वादी व उसके परिवारीजनों के ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तो यह लोग तमंचे से फायर करते हुए मौके से फरार हो गए इस सूचना पर थाना रिजोर पर मु.अ.सं- 201/20 धारा 147,148,149,452,307,323,504,506,379 भा.द.वि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना में फरार चल रहे अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष रिजोर को निर्देशित किया गया था। दिनांक 20.01.2021 को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना में वांछित चल रहे आरोपी नारायण पुत्र भूरे उर्फ बलवीर निवासी रामनगर थाना रिजोर जनपद एटा को एक अवैध तमंचा एक कारतूस सहित एटा-शिकोहाबाद रोड पर राजकोट खंदा के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना रिजोर पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामपता:-

1- नारायण पुत्र भूरे उर्फ बलवीर निवासी रामनगर थाना रिजोर जनपद एटा।

बरामदगी:-

1- एक अवैध तमंचा, एक कारतूस

